import quantity of used/retreaded tyres during 1996-97 was 2734 in number and it was 12676 in number during April 1997-February 1998*. It may not be possible to estimate the quantity of import of used tyres during 1998-99 at this stage. Import of new and used tyres was made free with effect from 1.4.1997. Steps have since been taken to prevent unrestricted import of used tyres in the manner stated above.

Drug Consumption in the Country

*475. SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the warning made by the International Narcotics Control authorities that two per cent of the Indian population is already hooked on the opiates;

(b) if so, whether any national survey has been conducted to accurately determine the level of drug consumption in India;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) No, Sir.

(b) to (d) No national survey has been conducted but a nation-wide study by sponsoring projects in 33 selected cities/towns and border areas was undertaken in 1990. The main findings include inter-alia prevalence of addiction in varying degrees among all sections of the society with age group between 16 to 35 years being worst affected. Further the findings indicate that certain sections of society such as transport workers, commercial sex workers, unemployed youth, students, labourers and slum dwellers are vulnerable to drug addiction.

असंगठित श्रम-शक्ति का संरक्षण

*476. श्री बरजिन्दर सिंह:
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में संगठित श्रम शक्ति की तुलना में असंगठित श्रम शक्ति की मात्रा अधिक है;

(ख) यदि हां, तो संगठित और असंगठित श्रम शक्ति संबंधी आंकलन क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में असंगठित श्रम शक्ति की आर्थिक दशा दयनीय है और वे शोषण से पीड़ित हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या इस असंगठित श्रम शक्ति को संरक्षण देने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां।

(ख) 286 मिलियन के कुल श्रम बल में से लगभग 27 मिलियन संगठित क्षेत्र में हैं और 259 मिलियन असंगठित क्षेत्र में हैं।

(ग) और (घ) 'असंगठित' शब्द का अर्थ किसी विशेष श्रेणी से नहीं है अपितु उन सभी कामगारों के लिए है जिनका अपनी संख्या के कारण (या तो बहुत अधिक अथवा बहुत कम) कोई संगठन नहीं होता, जो सुदूरवर्ती और बिखरे क्षेत्रों में फैले होते हैं, और जिनके पास शिक्षा, जागरूकता तथा व्यवसाय संघ कार्यकलापों का अभाव होता है। अतः संगठित और असंगठित कामगारों की कार्य परिस्थितियों की तुलना कर पाना कठिन है।

(ङ) संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के कामगारों के अधिकारों और उनके कल्याण के संरक्षण के लिए अनेक श्रम कानून अधिनियमित किए गए हैं। ऐसे कुछ कानून हैं:— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970, बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें)

अधिनियम, 1979, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 आदि। संबंधित कल्याण निधियों के अंतर्गत शुरू किए गए कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और अभ्रक खानों, सिनेमा उद्योग तथा बीडी उद्योग में लगे कर्मकारों को भी शामिल किया जाता है। राज्य सरकारों ने भी हथकरघा बुनकरों, रिक्शा चालकों आदि जैसे विशिष्ट कार्यकलापों में लगे कर्मकारों की बड़ी संख्या को शामिल करके बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी प्रारम्भ की हैं। असंगठित कामगारों के नियोजन की गुणवता और कार्यपरिस्थितियों में सुधार, किया जाना सरकार के लिए महत्वपूर्ण चिन्ता का विषय बना हुआ है।

जहां तक नए सिरे से नीतिगत पहलों का संबंध है, केन्द्रीय सरकार ने असंगठित कामगारों को नियोजित करने वाले कृषि क्षेत्र के पश्चात् दूसरे सबसे बड़े एकल कार्यकलाप वाले निर्माण उद्योग में लगे कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया है। सरकार का यह भी प्रयास रहा है कि मौजूदा उपायों का संवर्धन किया जाए और कल्याणकारी उपायों का प्रावधान किया जाए तथा विधायी संरक्षण को असंगठित क्षेत्र के अधिक से अधिक कर्मकारों पर लागू किया जाए।

Decision to lease coal mines

*477. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have taken a decision to lease coal mines in Australia to ensure a regular supply of coal; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI DILIP RAY) : (a) No. Sir.

(b) Does not arise in view of answer to part (a) of the question.

Reversing sharp fall in Exports

*478. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether he has asked the banks and trade bodies to draw up a joint strategy to reverse the sharp 17% fall in exports to East Asia in 1997-98 and step up investments;

(b) if so, whether any guidelines have been issued for liberalisation of credit facilities; and

(c) what are the other measures being adopted to boost exports?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) to (c) In view of the situation arising out of the financial and currency turmoil in some of the Fast Asian countries, meeting was convened under the Chairmanship of the Commerce Minister on 17.6.98 with the representatives of RBI, financial institutions and Chambers of Commerce. In this meeting, it was observed that our exporters and industrialists should take appropriate steps to meet the new challenges and take advantage of the emerging opportunities in the East Asia and in order to acnieve the same, financial institutions, Exim Bank and ECGC may extend necessary support to the exporters and investors. It was also decided that a delegation consisting of representatives of trade, financial institutions and industry would visit identified East Asian countries to initiate a dialogue with their counterparts for formalising various institutional tie-ups.

कोयला कंपनियों में कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के मामले

*479. **श्री रामदास अग्रवाल:**
श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान तथा अब तक, विभिन्न कोयला कंपनियों विशेषतया बी०सी०सी०एल०, सी०आई०एल०, डब्लू०सी०एल० तथा ई०सी०एल० में कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार तथा अन्य-अनियमितताओं के संबंध में सांसदों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;